।। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय), बांसवाड़ा ।।

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा तृ0वे0श्रृं. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित निम्नाकिंत अभ्यर्थियों को निदेशक माध्यमिक शिक्षा के आदेश क्रमांक शिविरा – माध्य / संस्था/ एफ–1/12102/ सी.भ./शाशि ग्रेड।।। /2017–18 दिनांक 27.11.2019 एवं 07.01.2020 के अनुसार टीएसपी क्षैत्र में नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आंवटित किये जाने के फलस्वरूप सलंग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों की राज्य/राज्य से बाहर की संस्थाओं से अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैद्यता सम्बन्धित जॉच उपरान्त पदस्थापन आदेश जारी करने के निर्देशों की पालना में निम्नांकित अभ्यर्थियों को **तृ0वे0श्रृं. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक** पद पर काउंसलिंग दिनांक 04.12.2019 एवं 10.01.2020 को प्रस्तुत सहमति पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरिक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल–10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिविक्षाधीन प्रक्षिशणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/– रूपये प्रतिमाह अक्षरे तेईस हजार सात सौ रूपये (पूर्व मे सेवारत होने की स्थिति विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक –प 8 (1) /क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधान अनुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

इन्हें दिनांक **10.08.2020** तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा। उक्त निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर उक्त नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगें।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनकी कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेगें :

1. इनके द्वारा अर्जित एवं इनके आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/प्रशैक्षिक/आयु/जाति/आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेगे। इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता/सन्देह होने की स्थिति में इस कार्यालय को प्रमाण पत्र सहित सूचित करते हुए अग्रिम आदेश तक कार्यग्रहण नहीं करावे।
2. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाया जाये। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिको हेतु यह आवश्यक नही होगा।
3. इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डीओपी/ए–।।/95 दिनांक 08. 04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके बाद उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल संतानो की संख्या दो से अधिक नही होने संबंधी आशय का 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेगें।
4. जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गयी है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करगें। यदि इनके द्वारा राज्य की बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य एवं मान्य नही पाई गयी तो उन्हें प्रदत यह नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
5. इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करे कि उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है। इनके त्रुटिपूर्ण/जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए इनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में फिक्स रेम्युनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षति पुर्ति भत्ता/मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन/बोनस/आदि देय नहीं होगा।
7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में राज्य बीमा, सामन्यतः प्रावधायी निधि आदि कटौती नियमानुसार नहीं होगी।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिये गणना योग्य नहीं माना जायेगा।
9. वित विभाग के आदेश क्रमांकः–एफ–12(9)एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमनुरेशन से पेंशन अशंदान की कटौती नियमानुसार करनी होगी।
10. जो अभ्यर्थी बी.पी.ई.(03 वर्षीय पाठ्यक्रम) की प्रशैक्षिक योग्यता धारित है, उनकी एन.सी.टी.ई. से मान्यता नहीं होने के कारण नियुक्ति कर कार्यग्रहण नही करवाते हुए इस कार्यालय को सूचित करेगें।
11. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित/अनुप्रमाणित नहीं है तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर संबंधित संस्था प्रधान के हस्ताक्षरित एवं प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एवं उसकी सत्यापित प्रति प्राप्त कर अभिलेख में सुरक्षित रखेगें।
12. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नही है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा।

13. इन्हें कार्यग्रहण कराने से पूर्व कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक /क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेगें।
14. टीएसपी क्षैत्र में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों के विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र राज्य सरकार की अधिसुचना दिनांक 04.07.2016 के अनुसार जारी किये गये पर ही कार्यग्रहण करवाया जावें ।
15. आवेदक से दहेज नही लिये जाने का स्व. धोषणा पत्र प्राप्त किया जावें ।
16. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह , पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावें ।
17. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–तृतीय सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में दी जाने वाली नियुक्तियां माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में विचाराधिन रिट संख्या 13257/2018, 15078/2019 एवं 17309/2019, 18491/2019, 18010/2019 तथा अन्य समान याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अध्यधीन रहेगी।

क्र सं	रोल नं.	मेरिट नं.	वर्ग	चयन वर्ग	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	पता	पदस्थापन स्थान	ब्लॉक	अभ्यर्थी फोटो
1	519097	7484	OBC	GEN	**KOSHALYA KUMARI**	**MAHESH CHANDRA PATIDAR**	14-May-92	VPO- MADALDA - TEH- GARHI MADALDA PINCODE 327034 DIST. BANSWARA	GOVT. SEC. SCH. ROHAL	GARHI	

इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवावे तथा कार्यग्रहण का इन्द्राज शाला दर्पण पर अपडेट करना सुनिश्चित करें ।

(मावजी खांट)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक बांसवाड़ा

क्रमांकः–जिशिअमु/मा/बांस/संस्था–1/फा.शाशि. नियुक्ति–2018/2019–2020/ 232 दिनांकः–30.07.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
6. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर मण्डल उदयपुर ।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा बॉसवाडा ।
9. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा बांसवाडा।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प0स0...................................जिला बॉसवाडा ।
11. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. संबंधित पीईईओ...जिला बॉसवाडा ।
13. संबंधित संस्थाप्रधान..
14. सम्बन्धीत आशार्थी श्री..
15. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)माध्यमिक बांसवाड़ा